

(१५)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी।

पत्रांक २५३ / वाद संख्या आर-०३६८ / २०२३ दिनांक १३ मई २०२३

थानाध्यक्ष,
मसूरी।

विपक्षी, श्री प्रेमपयाल/हितवद्ध व्यक्ति, मसूरी धनोल्टी चम्बा मोटर मार्ग टिपडी धार मसूरी द्वारा उक्त स्थल में अनाधिकृत रूप से निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये वाद संख्या आर-०३६८/२०२३ योजित किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त स्थल पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं० ८१७/स्था०-का०आ०/२०२२ दिनांक १३-०१-२०२३ के अनुपालन में दिनांक २६-५-२३ को ध्वस्त किया जाना है।

अतः उपरोक्त नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे तथा साथ ही स्थल पर निर्माण कार्य ध्वस्त होने के पश्चात आगे न हो पाये, इस हेतु अपने अधीनस्थों को भी निर्देशित करना सुनिश्चित करे।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।

प्रतिलिपि:-

- १-नायब तहसीलदार मसूरी को उपरोक्तानुसार ध्वस्तीकरण कार्य शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु।
- २-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/सुपरवाइजर्स म०दे०वि०प्रा० मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थल पर किये गये अवैध निर्माण की ध्वस्तीकरण कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- ३- श्री सुनील राणा (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर), आई०टी० अनुभाग को सचिव महोदय द्वारा दिये गये आदेश सं० ८१७/स्था०-का०आ०/२०२२ दिनांक १३.०१.२०२३ के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ४- विपक्षी श्री प्रेमपयाल/हितवद्ध व्यक्ति, मसूरी धनोल्टी चम्बा मोटर मार्ग टिपडी धार मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें एवं अपना आवश्यक सामान हटा लें। शेष नियम एवं शर्तें प्राधिकरण के पूर्व पारित ध्वस्तीकरण आदेश संख्या १८ दिनांक १०.०४.२०२३ के अनुसार यथावत रहेगी।



DOSO/M

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।